आदेश

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के आदेश संख्या 08बी./यू.सी.पी./06/124/2025/एफ.सी./1524 दिनांक 08–10–2015 से अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में बरतोली से बानढौक मोटर मार्ग (भाग–I) के निर्माण हेतु 2.705 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दोगुनी क्षेत्रफल की कुल 5.4100 है0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित करने के निर्देश के कम में पूर्व में कार्यालय आदेश संख्या 3962/ग्यारह–14/2015 दिनांक 03–03–2015 के द्वारा ग्राम कालनू, पटवारी क्षेत्र पाखुड़ा, तहसील रानीखेत के गै0ज0वि0ख0खा0संख्या–19/226 की श्रेणी–9(3)ड. योग्य बंजर भूमि के पैमायशी खेत नं0–7230 रकवा–1.864 है0 एवं खेत नं0– 7237 मध्ये रकवा–0.841 है0 इस प्रकार कुल–2.705 है0 सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा पत्र संख्या 3439/3सी0(व0भू0) दिनांक 08–10–2024 एवं पत्र संख्या 3651/3सी0 व0भू0 दिनांक 30–11–2014 से उक्त जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानढौक मोटर मार्ग के निर्माण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 03–03–2015 के सापेक्ष 2.705 है0 सिविल भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानढौक मोटर मार्ग के निर्माण मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.705 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल 5.4100 है0 सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग–2,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या– 2173/XVIII (II)/2012-18 (120) /2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में तथा याचक विभाग, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,अल्मोड़ा के अनुरोध के कम में संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत द्वारा पत्र संख्या 228(मु0)/क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2024–25, दिनांक 11 दिसम्बर,2024 से प्राप्त प्रस्ताव/आख्या संस्तुति के साथ निम्नवतः अभिलेखों सहित क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी भूमि की खतौनी,खसरा,नक्शा एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के आदेश संख्या 08बी./यू.सी.पी./06./124/2025/एफ.सी./1524 दिनांक 08–10–2015 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के आधार पर क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु पूर्व स्वीकृत 2.705 है0 भूमि के अतिरिक्त **ग्राम कालनू, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र पाखुड़ा** तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के गैर ज0वि0 खतौनी खाता संख्या– 19/226 श्रेणी 9(3)ड. बंजर काबिल आबाद के खेत संख्या– 2092 मध्ये रकवा **2.705 है0** सिविल भूमि को क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, रानीखेत तद्नुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 02 जनवरी,2025

(आलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या–2194 /ग्यारह– 14./2015, दिनांकः03 जनवरी,2025

प्रतिलिपिः निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।

3– संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत।

5– तहसीलदार, रानीखेत को उक्तानुसार अनुपालन किये जाने हेतु प्रेषित।

6– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

(आलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

नकल खतौनी गैर जमींदारी विनाश

ग्राम कालनू राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र पाखुड़ा तहसील-रानीखेत जिला अल्मोड़ा।

खाता संख्या	खातेदार का नाम	खेत संख्या	रकबा है०	विवरण
	श्रेणी 9(3)ङ कृषि योग्य बंजर भूमि।			श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के आ० सं० 3960 /ग्यारह -12-2015 दि० 3/3/2015 के ग्रा० कालनू पटवारी क्षेत्र पाखुड़ा, तहसील रानीखेत के गैर ज० वि० ख० खा० सं० 19/236 की श्रेणी 9(3)ङ योग्य बंजर भूमि के पैमाइशी खेत नं० 7233 मध्ये कुल रकबा 1.333 है० सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग रानीखेत के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तांतरित/नामांतरित की जाती है।
19/236	बंजर का आ.	2 4 9 16	0.388 0.429 0.050 0.098	
		क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः
		2089 2090 2092 2093	0.018 0.030 9.306 0.043	श्रीमान जिला अधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश संख्या 2194/ग्यारह – 14/2015 दिनांक 3 जनवरी 2025 के अनुसार ग्राम - कालनू की गैर ज. वि. ख. खा संख्या 19/226 श्रेणी 9.(3)ङ बंजर काबिल आबाद के खेत संख्या 2092 मध्ये रकबा 2.705 है० सिविल भूमि को करतोली से बनके मोटरमार्ग के निर्माण हेतु प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तांतरित/नामांतरित की जाती है।
		क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः
		7238 7240 7249 7250	1.029 0.039 1.055 4.235	मु० आ० न्यायालय नं० 152/370/539 सन 70–71 श्रीमान कुमाऊँ कमिश्नर दिनांक 15/5/72 के घनराम पु० नगराम को खेत नं० 3901 म० 5 नाली भूमि बगीचा हेतु स्वीकृत होने पर अमल दरामद ग्रान्ट के रूप में किया।
	योग	492	116.146	

ह० 9/15/01/25
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र...पाखुड़ा...
तहसील.रानीखेत..(अल्मोड़ा)